न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

अपील संख्या 126/2024

तारीख रजू 03.12.2024

बजरंग सिंह पुत्र गजराज सिंह राजपूत निवासी संवासकाछडा, तहसील खण्डार । ––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार। ––– रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री श्रीदास सिंह एडवोकेट – अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 18.06.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 93/2020 मे पारित आदेश दिनांक 14.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम संवास काछडा के आराजी खसरा नम्बर 242/80 रकबा 2.00 बीघा किस्म गै.मु.बेहड पर संवत 2076 मे जिन्स सरसो कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी ग्राम संवासकाछडा तहसील खण्डार का स्थायी निवासी है। यह कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय वास्तविक तथ्यों से परे होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है अपीलार्थी कृषि कार्य नहीं करता है अपितु वर्ष 2002 से ही जयपुर में प्राईवेट नौकरी करता है तथा परिवार सहित जयपुर में ही निवास करता है अपील में अपीलार्थी के काश्तकार होने वाले तथ्य तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त करने वाले तथ्य गलत दर्ज किये गये है इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय कानूनन इंसाफन गलत होने के कारण तथा मौके की स्थिति के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि हल्का पटवारी द्वारा मौके की स्थिति की वास्तविक जांच किए बिना गलत मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है इसलिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर नहीं दिया यदि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो यह निर्णय कदापि नहीं होता इसलिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ख0न0 242/80 रकबा 2.00 बीघा किस्म गै.मु.बेहड पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:40:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जिन्स सरसो का पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना गया है जो मौके की स्थिति के प्रतिकूल होने के कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का भी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए यह निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट की बहिन की तामील हुई है। बावजूद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस फर्द नीलामी व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि **अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा ना ही अपीलान्ट भविष्य में अतिक्रमण करेगा**। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा/कब्जा–काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:40:25 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर